पत्रांक — 1003 दिनांक - 08-12-2023

सेवा में, शाखा प्रबंधक, Kuber Aashiyana Private

अनुसूची २१—प्रपत्र सं० ११३।

संपत्ति - अवभार - प्रमाण - पत्र

प्रमाणक सं० 688 /2022 आवेदन सं० शुन्य / 04.12.2023

चूंकि श्री Yogi Sneha Jha ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही १ मे और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 01-01-2008 से ता० आज तक 2023 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और अवभारों और अवभारों का पता चला :—

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
१	२	३	४	५	६	७	८	९
1.	मौजा - मौतिवाड़ी खाता नं० - 582 Ward no - 24 - Holding no - 024000124100OMO T.P.P. No - 4 प्लाट/केदी नं० - 448 (पार्ट) Area of land - 14.635 डिसमल							

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १ बधक–पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बश कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२ पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अबभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करनेवाले, किसी अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :—

(हस्ताक्षर) :—

(पदनाम) :— लिपिक

तलाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :— A.K. Chaudhary

(पदनाम) :— Lipik

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय दरभंगा

तारीख

मुहर

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

08/12/2023

टिप्पणी (१)—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये है, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है । यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही इन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जिक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे ।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हे विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अबभारों के प्रमाण-पत्रों को जरुरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी । विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी ।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है । फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले से आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वार ढूढे गये गये संव्यवहारों और अबभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र मे दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढे गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।